यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

मानव संसाधन प्रभाग

कार्मिक संबंध विभाग, केन्द्रीय कार्यालय

239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021.

स्टाफ परिपत्र क्र. 7135 **दिनांक: 27 मार्च, 2020**

प्रति : सभी शाखाएँ/कार्यालय

बैंको का समामेलन – कर्मचारी ऋणों का एकीकरण
अधिकारियों एवं अधीनस्थ कर्मचारी हेतु क्लीन ओवरड्राफ्ट सुविधा

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक के समामेलन के परिणामस्वरूप, सभी तीन बैंकों के अधीनस्थ कर्मचारी एवं अधिकारियों को दिए जाने वाले विभिन्न ऋणों को एकीकृत किया गया है. काफी विचार-विमर्श के बाद, बोर्ड ने समामेलित संस्थाओं के अधीनस्थ कर्मचारी एवं अधिकारियों के लिए एकीकृत ऋणों एवं अग्रिमों को अनुमोदित किया है.

समामेलन की तिथि से प्रभावी '**अधिकारियों एवं अधीनस्थ कर्मचारियों हेतु क्लीन ओवरड्राफ्ट सुविधा**' योजना की मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार है:

मुख्य विशेषताएँ:

i. **सुविधा का प्रकार :**

क्लीन ओवरड्राफ्ट

ii. **उद्देश्य :**

व्यापार संबंधी उद्देश्य/घर के निर्माण या मरम्मत या घर की खरीद के अलावा स्टाफ सदस्यों से संबंधित किसी भी वास्तविक प्रयोजनार्थ,

iii **पात्रता :**

बैंक के सभी स्थायी कर्मचारी, जिन्होंने 2 वर्ष की सक्रिय सेवा पूर्ण की है.

iv **सीमा :**

सेवाकाल (वर्षों में)	**4 वर्षों तक**	**4 वर्षों से अधिक**
वेतनमान VI **एवं** VII	**15 लाख**	
वेतनमान I **एवं** V	**8 लाख**	**11 लाख**
लिपिक	**6 लाख**	**7 लाख**
अधीनस्थ स्टाफ (पूर्ण कालिक)	**4 लाख**	
पीटीएस (3/4)	**3 लाख**	
पीटीएस (1/2)	**2 लाख**	
पीटीएस (1/3)	**1 लाख**	

- सेवाकाल सभी संवर्गों में कुल सेवाकाल को संदर्भित करता है.
- सीमाएं प्रत्येक माह में वसूल किए जाने वाले ब्याज हिस्से में शामिल होती है.
- कर्मचारी अपने विवेकाधिकार द्वारा न्यूनतम सीमा का भी उपयोग कर सकते हैं.
- उच्च वेतनमान में पदोन्नत कर्मचारी पूर्व वेतनमान में प्रयुक्त सीमा और नए वेतनमान में उसकी पात्रता की सीमा के बीच की सीमा का उपयोग करने के पात्र होंगे.
- सेवानिवृति के समय, कर्मचारी के ओवरड्राफ्ट खाते में किसी भी बकाया को कर्मचारी के सेवान्त लाभों से वसूला जाएगा.

v. **कटौती** :

ओवरड्राफ्ट पर वैधानिक कटौती, ऋण की किस्तों और संवैधानिक मासिक किस्त के वेतन से कुल कटौती कुल वेतन का 60% से अधिक नहीं होनी चाहिए.

सकाल मासिक परिलब्धियों के 60% से अधिक कटौतियों (नोशनल ब्याज सहित) की स्थितियों में, ऐसे कर्मचारी को अपनी पात्रता के अनुसार सीमा को आनुपातिक रूप से मंजूर किया जाए.

vi. **ब्याज दर** : एमसीएलआर (1 वर्ष की अवधि)

vii. **ब्याज की वसूली** :

खाते में प्रतिदाय (मासिक घटक) कर्मचारी को दिए गए वेतन से हर माह वसूल किया जाना चाहिए. कर्मचारियों के लिए मासिक वेतन के क्रेडिट हेतु ओडी खाता को नामित करना अनिवार्य होगा. आहरण का विनियमन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि मासिक ब्याज के नामे खाते की स्वीकृति सीमा के बाद खाते में आहरण न किया जाए.

viii. ओवरड्राफ्ट सुविधा के बारे में **सक्षम प्राधिकरियों** की मंजूरी के संबंध में सूचना यथासमय दी जाएगी.

इस योजना के संबंध में, महाप्रबंधक (मासं) किसी भी स्पष्टीकरण जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी होंगे.

महाप्रबंधक (मासं)

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
Human Resource Department
Employee Relation Division, Central Office

239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021

STAFF CIRCULAR NO. 7135 **Date: 27th March, 2020**

To All Branches / Offices

AMALGAMATION OF BANKS - HARMONISATION OF STAFF LOANS

CLEAN OVERDRAFT FACILITY FOR OFFICERS AND AWARD STAFF

Consequent to the Amalgamation of Andhra Bank & Corporation Bank into Union Bank of India, various loans provided to Award Staff and Officers in all the three Banks have been harmonized. After due deliberations, the Board has approved the harmonized Loans and Advances for Award Staff and Officers in the Amalgamated Entity.

The salient features of the scheme of "**Clean Overdraft facility for Officers and Award Staff**", effective from the date of Amalgamation, are as under:

Salient Features:

i. Type of Facility:

Clean Overdraft

ii. **Purpose:**

Any bonafide purpose relating to the staff member except for speculative purposes / construction or repairs of house or purchase of house.

iii. **Eligibility:**

All confirmed employees of the Bank having completed 2 years of active service.

iv. **Limits:**

Service (in years)	Upto 4 years	Above 4 years
Scale VI & VII	15 lacs	
Scale I to V	8 lacs	11 lacs
Clerks	6 lacs	7 lacs
Sub staff (Full time)	4 lacs	
PTS (3/4)	3 lacs	
PTS (1/2)	2 lacs	
PTS (1/3)	1 lac	

- Service refers to the aggregate service in all cadres
- The limits are inclusive of the interest portion charged every month
- Lower limit can be availed by the employees at their discretion.
- An employee on promotion to higher cadre will be eligible for difference between the limit he availed in earlier scale and his entitlement of limit in the new scale.
- At the time of retirement any outstanding in the OD account of the employee, shall be recovered from the terminal benefits of the employee.

v. **Deductions:**

Total deductions from the salary on account of statutory deductions, loan instalments, and notional monthly instalment on overdraft **should not exceed 60% of the Gross Salary.**

In case the total deductions (including the notional interest) exceeds 60 % of the gross monthly emoluments, such employees may be sanctioned proportionate limit within their eligibility.

vi. **Rate of interest:** MCLR (1 year tenor)

vii. **Recovery of interest**

The interest repayable (monthly component) in the account must be recovered every month from the salary paid to the employee. It will be mandatory for the employees to designate the OD a/c for credit of their monthly salary. The drawings should be regulated in such a way that the account would not be overdrawn beyond the sanctioned limit upon debit of monthly interest to the account.

viii. Competent Authorities in respect of sanction of overdraft facility will be informed in due course of time.

The General Manager (HR) shall be the Competent Authority for issuing any clarifications with regard to the Scheme.

General Manager (HR)